प्रेस विज्ञप्ति

30.09.2025

बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 15.41 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29/09/2025 को कोलकाता और हावड़ा में **15.41 करोड़ रुपये** मूल्य की 10 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों में से एक अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों से संबंधित हैं।

ईडी ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), जमशेदपुर द्वारा शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया के नेतृत्व वाले एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ दर्ज कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपी मास्टरमाइंडों ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 135 फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क बनाकर और उसका संचालन करके एक जटिल धोखाधड़ी को अंजाम दिया। सिंडिकेट की कार्यप्रणाली में बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के फर्जी जीएसटी चालान जारी करना शामिल था, जिससे धोखाधड़ी से **734 करोड़ रुपये** से अधिक मूल्य का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) तैयार किया गया और उसे आगे बढ़ाया गया। इस फर्जी आईटीसी को फिर कमीशन के लिए विभिन्न अंतिम-उपयोगकर्ता संस्थाओं को बेच दिया गया, जिन्होंने इस अवैध क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी वैध जीएसटी देनदारियों से बचने के लिए किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

जाँच से पता चला है कि इस आपराधिक गतिविधि से सिंडिकेट को लगभग **67 करोड़ रुपये** का कमीशन मिला, जो अपराध की आय (पीओसी) है। मुख्य वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत अमित गुप्ता ने कई अचल संपत्तियाँ अर्जित करके इस अवैध आय को वैध बनाने में अहम भूमिका निभाई। जाँच में यह भी पता चला कि डीजीजीआई द्वारा जाँच शुरू करने के बाद अमित गुप्ता ने जानबूझकर इन संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित करके छिपाने की कोशिश की।

इससे पहले, ईडी ने 08.05.2025 को तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी पहले ही माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, रांची के समक्ष गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कर चुकी है जिसका संज्ञान माननीय न्यायालय ने लिया है। इसके अतिरिक्त, 03.07.2025 को एक पिछला अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें सिंडिकेट प्रमुख

शिव कुमार देवड़ा की 5.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। 15.41 करोड़ रुपये की संपत्ति की वर्तमान कुर्की पीओसी का पता लगाने और उसे कुर्क करने के चल रहे प्रयासों का एक क्रम है।

आगे की जांच जारी है।